

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014—श्रावण 17, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्र. एफ-बी-7(बी)-13-2014-2-पांच (27).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा रजिस्ट्रीकरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 818-635-पांच-पृ. आ. दिनांक 24 फरवरी, 1975 के अधीन पूर्व में बनाई तथा प्रकाशित की गई फीस सारणी को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन देय रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित फीस के लिए निम्नलिखित नई सारणी बनाती है तथा उसकी धारा 79 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उसे प्रकाशित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 अगस्त 2014 से प्रवृत्त होगी.

रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित फीस की सारणी

अनुच्छेद—एक

यथा—मूल्य दर से प्रभार्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु

उन समस्त दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु जिन पर यथा-मूल्य दर : उस रकम का 0.8 प्रतिशत, जिस पर कि स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है. से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है.

टिप्पण: 1. यथा-मूल्य स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य मुख्तारनामा के लिए यथा-मूल्य रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी. उसी संव्यवहार से संबंधित रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए पश्चात्पूर्ती हस्तान्तरण विलेख पर शुल्क का अंतर, केवल न्यूनतम एक हजार रुपए के अधधीन रहते हुए, उद्गृहीत किया जाएगा.

2. कब्जा सहित विक्रय, बंधक आदि के किसी ऐसे करार के लिए जिसमें यथा मूल्य स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है, यथा मूल्य रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी. उसी संव्यवहार से संबंधित, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए पश्चात्पूर्ती हस्तान्तरण, बंधक आदि के विलेख पर शुल्क का अंतर न्यूनतम एक हजार रुपए के अधधीन रहते हुए उद्गृहीत किया जाएगा.

अनुच्छेद—दो
पट्टों के रजिस्ट्रीकरण के लिए

पट्टों के रजिस्ट्रीकरण के लिए

: 1000 रुपए के न्यूनतम के अध्यधीन रहते हुए पट्टे पर देय
स्टाम्प शुल्क के मूल्य का तीन चौथाई.

अनुच्छेद—तीन

निश्चित फीस से प्रभारित होने वाले दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए

- | | | | |
|-----|--|---|-----------|
| (क) | वसीयत. | : | 1000 रुपए |
| (ख) | दत्तकग्रहण का प्राधिकार अथवा दत्तक विलेख | : | 500 रुपए |
| (ग) | मुख्तारनाम आम या मुख्तारनामा खास (यथा-मूल्य स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य को छोड़कर). | : | 500 रुपए |
| (घ) | विवाह-विच्छेद विलेख | : | 500 रुपए |
| (ङ) | सेवा या किराए का करार | : | 500 रुपए |
| (च) | किसी लिखत का प्रतिलेख या दूसरी प्रति | : | 500 रुपए |
| (छ) | किसी प्रतिफल के बिना सम्मति विलेख | : | 500 रुपए |
| (ज) | भूमि-सुधार अथवा कृषक उधार अधिनियम के अधीन ऋण के लिए बंधक विलेख की प्रतिभूति. | : | 500 रुपए |
| (झ) | मुख्तारनामा के प्रमाणीकरण हेतु. | : | 500 रुपए |
| (ञ) | सांपर्शिक अथवा सहायक या अतिरिक्त अथवा प्रतिस्थापित प्रतिभूति देने या और प्रतिभूति देने के लिए आश्वासन बतौर तात्पर्यित कोई दस्तावेज, जहां मूल या प्राथमिक बंधक के बारे में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वह सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है. | : | 500 रुपए |
| (ट) | किसी सांपत्तिक फर्म अथवा भागीदारी फर्म द्वारा ऐसे ऋण के लिए, जो उसके किसी बैंक द्वारा दिया गया हो, प्रतिभूति बतौर निष्पादित किया गया आड़मान बंधपत्र. | : | 500 रुपए |
| (ठ) | पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को निरस्त करने वाले दस्तावेज के लिए या किसी प्रतिफल के बिना पट्टे के समर्पण के दस्तावेज के लिए. | : | 500 रुपए |
| (ड) | पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी विलेख को संशोधित, परिवर्तित या उसमें सुधार करने वाले दस्तावेज के लिए किन्तु कोई उसमें सारवान् परिवर्तन नहीं किए गए हैं. | : | 500 रुपए |
| (ढ) | किसी अन्य विलेख के लेखे जो कि पूर्व में रजिस्ट्रीकृत की गई हैं, प्रतिफल के भुगतान को प्राप्ति को स्वीकार करने वाले पृथक विलेख के लिए. | : | 500 रुपए |
| (ण) | हक विलेख के निक्षेप से संबंधित करार की लिखत हेतु | : | 1000 रुपए |
| (त) | हक विलेख के निक्षेप के प्रति हस्तांतरण की लिखत हेतु. | : | 1000 रुपए |

- (थ) बंधक संपत्ति के प्रति हस्तांतरण पत्र की लिखत हेतु : 1000 रुपए
 (द) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 के अधीन घोषणा हेतु. : 1000 रुपए

टिप्पण:—किसी ऐसे अन्य दस्तावेज पर जो इस सारणी के किसी अन्य अनुच्छेद के अधीन न लाया जा सकता हो, पांच सौ रुपए रजिस्ट्रीकरण फीस उद्गृहीत की जाएगी.

अनुच्छेद—चार
 अन्य फीस

1. (क) वसीयत के मुहरबंद लिफाफे को जमा करने के लिए : 1000 रुपए
 (ख) ऐसे लिफाफे को खोलने या वापस लेने के लिए : 500 रुपए
2. (क) किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए : 200 रुपए
 (ख) इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड करने हेतु. : 200 रुपए
3. नक्शे की प्रमाणित प्रति देने या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से कम्प्यूटर-जनित नक्शा डाउनलोड करने के लिए, टीप—शासकीय सेवकों को, जिन्हें सद्भावपूर्ण लोक प्रयोजन हेतु नक्शों की प्रतियां आवश्यक हों, फीस के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी. : 200 रुपए
4. (क) ऐसे दस्तावेज की अभिरक्षा के लिए, जो उस दिनांक से, जबसे कि वह पृष्ठांकित, रजिस्ट्रीकृत किया गया हो या रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया गया हो, एक माह तक अदावाकृत रहा हो. : पहले माह के पश्चात् ऐसे प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए, जिसके दौरान दस्तावेज अदावाकृत रहा हो, अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए 100 रुपए पहले माह के पश्चात् ऐसे प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए, जिसके दौरान प्रतिलिपि अदावाकृत रही हो, अधिकतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए 50 रुपए.
 (ख) ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि की अभिरक्षा के लिए, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गई हो या रजिस्ट्रीकृत की जा चुकी हो, जबकि ऐसी प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर तैयार की गई हो और उस दिनांक से, जबकि वह आवेदक को दिए जाने के लिए तैयार थी, एक माह तक अदावाकृत रही हो.
5. रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को डाक से लौटाने के लिए :
 (क) एकल दस्तावेज के लिए : 100 रुपए
 (ख) उसी रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में लौटाएं जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त दस्तावेज के लिए. : 50 रुपए
6. रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त फीस. : साधारण फीस के अतिरिक्त 1000 रुपए

अनुच्छेद—पांच
उपस्थिति तथा कमीशन हेतु फीस

धारा 31, 33 या 38 के अधीन प्राइवेट निवास गृहों या जेल में प्रत्येक उपस्थिति के लिए अथवा धारा 33 या 38 के अधीन कमीशन जारी करने के लिए फीस—

- | | |
|--|-------------|
| (क) यदि व्यक्ति जेल में हो, | : 1000 रुपए |
| (ख) यदि व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होने में शारीरिक रूप से असमर्थ हो | : 1000 रुपए |
| (ग) अन्यथा | : 1000 रुपए |

टिप्पणः—(1) इस अनुच्छेद में वर्णित फीस साधारण फीस और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/कर्मचारियों को शासन द्वारा समय-समय पर विहित दर पर अनुज्ञेय यात्रा-भत्ता के अतिरिक्त प्रभारित की जाएगी.

(2) इस अनुच्छेद के अधीन उद्गहणीय फीस भू-अर्जन के प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राइवेट निवास गृहों पर उपस्थिति के लिए प्रभार्य नहीं होगी.

अनुच्छेद—छह
उपस्थापित करने में विलंब हेतु फीस

उपस्थापित करने में विलंब (धारा 25) के लिए फीस निम्नलिखित मानदण्ड अनुसार विनियमित की जाएगी—

- | | |
|---|--|
| (क) जहां विलंब एक मास से अधिक न हो | : वास्तविक रजिस्ट्रीकरण शुल्क की रकम का दो गुना जुर्माना, |
| (ख) जहां विलंब एक माह से अधिक किन्तु दो माह से अधिक न हो. | : वास्तविक रजिस्ट्रीकरण शुल्क की रकम का चार गुना जुर्माना, |
| (ग) जहां विलंब दो माह से अधिक किन्तु तीन माह से अधिक न हो. | : वास्तविक रजिस्ट्रीकरण शुल्क की रकम का छह गुना जुर्माना, |
| (घ) जहां विलंब तीन माह से अधिक किन्तु चार माह से अधिक न हो. | : वास्तविक रजिस्ट्रीकरण शुल्क की रकम का दस गुना जुर्माना, |

अनुच्छेद—सात
निरीक्षण तथा तलाशी के लिए फीस

- | | |
|---|-----------------------|
| (क) प्रत्येक प्रविष्टि अथवा दस्तावेज के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गई तलाशी हेतु. | : 100 रुपए प्रतिवर्ष |
| (ख) किसी उपभोक्ता/सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से प्रत्येक निर्धारित समय स्लॉट हेतु की गई तलाशी के लिए. | : 100 रुपए प्रतिस्लॉट |
| (ग) किसी आवेदक को प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए. | : 50 रुपए प्रतिवर्ष |

अनुच्छेद—आठ
आवेदनों के लिए तथा आदेशिकाएं जारी किए जाने हेतु फीस

- | | |
|--|---|
| (क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को लिखित में किए जाने वाले समस्त आवेदनों के लिए. | : न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के अधीन देय फीस. |
|--|---|

- (ख) रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा जारी की गई आदेशिकाओं पर : सिविल न्यायालयों द्वारा आदेशिकाएं जारी करने के लिए न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के अधीन देय फीस.

अनुच्छेद—नौ
विविध फीस

- (क) किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करने वाले उप रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध धारा 72 के अधीन अपील अथवा धारा 73 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने पर. : 250 रुपए
- (ख) धारा 74 के अधीन जांच के लिए : 250 रुपए
- (ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित दस्तावेज के संबंध में अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्तारनामे का अनुवाद फाईल करने के लिए जबकि मुख्तारनामा ऐसी भाषा में लिखा गया हो जो जिले में सामान्यतः उपयोग नहीं की जाती हो, : 250 रुपए
- (घ) रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किसी दस्तावेज के साथ अथवा उसके संबंध में प्रस्तुत मुख्तारनामा फाईल करने के लिए, : 250 रुपए
- (ङ) धारा 25 तथा 34 के अधीन उप रजिस्ट्रार को किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए, : 250 रुपए
- (च) निष्पादकों तथा साक्षियों के उपसंजात कराने के लिए धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए, : 250 रुपए
- (छ) रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत किए जाने से इंकार की गई तथा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय को भेजी गयी वसीयत की वापसी हेतु प्रत्येक आवेदन के लिए, : 250 रुपए
- (ज) धारा 25 के अधीन उद्गृहीत जुर्माने की माफी या वापसी का दावा करने वाले प्रत्येक आवेदन के लिए, : 250 रुपए
- (झ) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, विशेष अत्यावश्यकता के आधार पर अवकाश के दिन उसके कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई दस्तावेज स्वीकार करने के लिए उपस्थापित किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए, : 500 रुपए
- (ञ) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, विशेष आपातस्थिति के आधार पर अवकाश के दिन मुहरबंद लिफाफे को, जिसमें वसीयत अंत-र्विष्ट होना तात्पर्यित है, धारा 42 के अधीन निक्षेप हेतु स्वीकार करने हेतु उपस्थापित किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए, : 500 रुपए
- (ट) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, विशेष आपातस्थिति के आधार पर अवकाश के दिन उसके कार्यालय में केवल अनुप्रमाणन हेतु अथवा अनुप्रमाणन तथा रजिस्ट्रीकरण हेतु मुख्तारनामा स्वीकार करने के लिए उपस्थापित किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए, : 500 रुपए

- (ठ) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में रसीद तैयार की गई है, दस्तावेज की वापसी पर आपत्ति करने वाली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपस्थापित की गई प्रत्येक याचिका के लिए, : 250 रुपए
- (ड) किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने वाली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपस्थापित की गई प्रत्येक याचिका के लिए, : 250 रुपए
- परन्तु यदि याचिका में एक से अधिक दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई गई है तो याचिका के लिए देय फीस की गणना याचिका के लिए देय फीस की गणना याचिका में विनिर्दिष्ट प्रत्येक दस्तावेज के लिए 250 रुपए की दर से की जाएगी तथा यदि ऐसे दस्तावेजों की संख्या याचिका में विनिर्दिष्ट नहीं हो, तो ऐसी याचिका के लिए 500 रुपए की फीस उद्गृहीत की जाएगी.
- (ढ) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को वापस लेने के लिए अथवा दस्तावेज को रजिस्टर करने से पूर्णतः या भागतः इंकार करने से पूर्णतः या भागतः इंकार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपस्थापित की गई प्रत्येक याचिका के लिए, : 250 रुपए
- (ण) अनुपूरक पुस्तक क्रमांक-एक में दस्तावेज फाईल करने के लिए, : 500 रुपए

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्र. एफ-बी-7(बी)-13-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-7(बी)-13-2014-2-पांच (27), दिनांक 8 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 8th August 2014

No.F-B-7(B)-13-2014-2-V: (27).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), and in supersession of table of fees previously prepared and published under the Registration Department Notification No. 818-635-V-SR, dated 24th February 1975, the State Government hereby, prepares the following new table of Registration and other related fees payable under the said Act and publishes it as required by Section 79 thereof.

2. This Notification shall come into force from 15th August, 2014.

TABLE OF REGISTRATION AND OTHER RELATED FEES ARTICLE—1

For Registration of the Documents Chargeable at ad-valorem Rate

For registration of all documents on which stamp duty : 0.8 percent of the amount on which stamp duty is chargeable at ad-valorem rate. chargeable.

Note.—1. For power of attorney chargeable with ad-valorem stamp duty, an ad-valorem registration fee shall be charged. A difference of fee shall only be levied on the deed of conveyance etc. subsequently tendered for registration relating to the same transaction, subject to a minimum of rupees one thousand.

2. For an agreement to sale with possession, mortgage etc. wherein stamp duty is charged ad-valorem, an ad-valorem registration fee shall be charged. For an agreement to sale without possession an ad-valorem registration fee shall be charged. A difference of fee shall be levied on the deed of conveyance, mortgage etc. subsequently tendered for registration relating to the same transaction, subject to a minimum of rupees one thousand.

ARTICLE-II

For Registration of Leases

For Registration of Leases : Three fourth of the value of the stamp duty payable on the lease subject to a minimum of Rs. 1000/-.

ARTICLE-III

For Registration of the Documents Chargeable with fixed fees

(a) Will	:	1000 rupees
(b) Authority to adopt or adoption deed	:	500 rupees
(c) General power of attorney of Special power of attorney (excluding those chargeable with ad-valorem stamp duty)	:	500 rupees
(d) Deed of divorce,	:	500 rupees
(e) Agreement of service or hire	:	500 rupees
(f) Counterparts or duplicate of instrument	:	500 rupees
(g) Consent deed without any consideration	:	500 rupees
(h) Security of Mortgage deed for loan under the Land Improvement or Agriculturists Loans Act.	:	500 rupees
(i) For attestation of power of attorney	:	500 rupees
(j) A document purporting to give collateral or auxiliary or additional or substituted security of security by way of further assurance, where the principal or primary mortgage is proved to the satisfaction of registering officer to have been duly registered.	:	500 rupees
(k) A hypothecation bond executed by a proprietary firm or partnership by way of security for loans advanced to it by a Bank.	:	500 rupees
(l) For the document cancelling any previously registered document, or a surrender of lease without any consideration.	:	500 rupees
(m) For the document amending, modifying or correcting any previously registered deed, but where no material alterations are made.	:	500 rupees

(n) For the separate deed acknowledging receipt of payment of consideration on account of another deed which has been previously registered.	:	500 rupees
(o) For an instrument of agreement relating to deposit of title deed.	:	1000 rupees
(p) For an instrument of re-conveyance of deposit of title deed.	:	1000 rupees
(q) For an instrument of re-conveyance of mortgaged property.	:	1000 rupees
(r) For declaration under Madhya Pradesh Prakoshtya swamitya Adhiniyam, 2000.	:	1000 rupees

Note:—Registration fees of rupees five hundred shall be levied on any other document which cannot be brought under any other article of this table.

ARTICLE-IV

Other Fees

1. (a) For deposit of a sealed cover containing a will.	:	1000 rupees
(b) For opening or withdrawal of such cover.	:	500 rupees
2. (a) For granting certified copy of a document.	:	200 rupees
(b) For downloading digitally signed copy of registered document from electronic registration system.	:	200 rupees
3. For granting certified copy of a map or for downloading computer generated map from electronic registration system.	:	200 rupees
Note—Servant of the Government who require copies of maps for bona fide public purpose are exempted from the payment of fees.		
4. (a) For the custody of a document which has remained unclaimed for one month from the date on which it was endorsed registered or registration refused	:	100 rupees for each month or a portion of a month after the first month during which the document is unclaimed, subject to a maximum of rupees 1000.
(b) For the custody of a copy of a document which has been presented for registration or registered when such a copy has been prepared in the registration office on the application of any person and is unclaimed for one month from the date the copy was ready for delivery to the applicant.	:	50 rupees for each month or a portion of a month after the first month during which the document unclaimed, subject to a maximum of rupees 500.
5. For the return of registered document by post		
(a) For a single document	:	100 rupees
(b) For every additional document to be returned in the same registered cover.	:	50 rupees
6. Extra fees for registration of any document by Registrar	:	1000 rupees in addition to the ordinary fees.

ARTICLE-V

Fees for Attendance and Commission

Fees for each attendance at a private residence or jail under section 31, 33 or 38 or for the issue of a commission under section 33 or 38:—

- | | |
|---|---------------|
| (a) It the person is in Jail | : 1000 rupees |
| (b) If the person is physically unable to attend the office | : 1000 rupees |
| (c) Otherwise | : 1000 rupees |

Note:—(1) The fee mentioned in this Article shall be charged in addition to the ordinary fee and travelling allowance at the rate prescribed by the Government for time to time, permissible to the Registering officer/employee

(2) The fee leviable under this Article shall not be chargeable for attendance of private residence for registration of documents in favour of the Government of Madhya Pradesh for the purpose of land acquisition.

ARTICLE-VI

Fees for Late Presentation

Fees for late presentation (Section 25) shall be regulated by the scale given below—

- | | |
|--|---|
| (a) Where the delay does not exceed a month, | : a fine of twice the amount of the proper registration fee. |
| (b) Where the delay exceeds one month, but does not exceed two months, | : a fine of four times the amount of the proper registration fee, |
| (c) Where the delay exceeds two months, but does not exceed three months. | : a fine of six times the amount of the proper registration fee. |
| (d) Where the delay exceeds three months, but does not exceed four months, | : a fine of ten times the amount of the proper registration fee. |

ARTICLE-VII

Fees for Inspection and Search

- | | |
|---|-----------------------------|
| (a) For a search made by a registering officer for each entry or document.. | : 100 rupees for each year. |
| (b) For a search made electronically by a user/Service Provider for each defined time slot. | : 100 rupees for each Slot. |
| (c) For allowing an applicant to inspect for each entry or document. : | 50 rupees for each year. |

ARTICLE-VIII

Fees for applications and issue of processes

- | | |
|---|---|
| (a) for all applications to be made in writing to Registering officers. | : the fees payable under the Court Fees Act, 1870. |
| (b) on processes issued by Registering officers. | : the fees payable under the Court fees Act, 1870 for issue of processes by Civil Courts. |

ARTICLE-IX

Miscellaneous Fees

- | | |
|---|--------------|
| (a) on the presentation of appeal under Section 72 or an application under Section 73 against the order of a sub-registrar refusing to register a document. | : 250 rupees |
| (b) for an enquiry under Section 74 | : 250 rupees |

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| (c) | for filing a translation of a power-of-attorney produced by an agent with or in connection with a document presented for registration when the power of attorney is written in language not commonly used in the district, | : | 250 rupees |
| (d) | for filing a power-of-attorney produced with or in connection with a document presented for registration. | : | 250 rupees |
| (e) | for each application made to sub-Registrar under Section 25 and 34, | : | 250 rupees |
| (f) | for each application made to a registering officer under Section 36 for enforcing the appearance of executants and witnesses, | : | 250 rupees |
| (g) | for each application for the return of a will registered or refused to be registered and transmitted to the Registrar's office for safe custody, | : | 250 rupees |
| (h) | for each application claiming remission or refund of the fine levied under Section 25. | : | 250 rupees |
| (i) | for each application presented to a registering officer to accept a document for registration at his office on a holiday on the ground of special urgency. | : | 500 rupees |
| (j) | for each application presented to registering officer to accept a sealed cover purporting to contain a will for deposit under section 42 on an holiday on the ground of special emergency, | : | 500 rupees |
| (k) | for each application presented to a registering officer to accept a power of attorney for attestation only or for attestation and registration at his office on a holiday on the ground of special emergency. | : | 500 rupees |
| (l) | for each petition presented to a registering officer objecting to the return of a document to a person in whose favour the receipt has been drawn up. | : | 250 rupees |
| (m) | for each petition presented to a registering officer protesting against the registration of a document: | : | 250 rupees |
| | Provided that if protest is made against the registration of more than one document in a petition, the fee payable for the petition shall be calculated at the rate of rupees 250 for each of such documents specified in the petition and if the number of such documents is not specified in the petition, fee of rupees 500 shall be levied for such petition. | | |
| (n) | for each petition presented to a registering officer for withdrawing a document for registration or for complete or partial refusal to register a document. | : | 250 rupees |
| (o) | for filing of document in Supplementary Book No. 1. | : | 500 rupees |

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.